

(वित्त विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2024

का.नि.आ. 12.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2013 को, जहां तक उनका सम्बंध ज्येष्ठ लेखापरीक्षक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग में ज्येष्ठ लेखापरीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखापरीक्षक) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं – वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना है।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पदा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ लेखापरीक्षक।	16961*(2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण: दर्शाए गए पदों की संख्या में लेखापरीक्षक और ज्येष्ठ लेखापरीक्षक की संयुक्त	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ब') अनुसचिवीय (अराजपत्रित)।	स्तर-6 (35400-112400 रू.)।	चयन पदा।	लागू नहीं होता।

संख्या सम्मिलित है, जिसमें अधिकतम अस्सी प्रतिशत पद ज्येष्ठ लेखापरीक्षक में संचालित किए जाएंगे।				
--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेसन किया जाएगा।
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा।	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रु) में ऐसे लेखापरीक्षक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की है और जिसने विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न क्षेत्रिय प्रशिक्षण केंद्रों में प्रदान किए गए उच्चतर पदों के कर्तव्यों के संबंध में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के सम्बंध में विचार करने के	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

<p>लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:</p> <p>(1) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक या रक्षा लेखा नियंत्रक या रक्षा लेखा अपर नियंत्रक या रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक - (अध्यक्ष) ;</p> <p>(2) रक्षा लेखा उप नियंत्रक - (सदस्य) ; तथा</p> <p>(3) रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक - (सदस्य)।</p> <p>विभागीय पुष्टि समिति पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :</p> <p>(1) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक या रक्षा लेखा नियंत्रक या रक्षा लेखा अपर नियंत्रक या रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक - (अध्यक्ष) ;</p> <p>(2) रक्षा लेखा उप नियंत्रक - (सदस्य) ; तथा</p> <p>(3) रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक - (सदस्य)।</p>	
---	--

[फा. सं. 9(5)/DAD/C/2023]

वेदवीर आर्य, संयुक्त सचिव एवं अपर वित्त सलाहकार

(Finance Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2024

S.R.O. 12.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Senior Auditor) Recruitment Rules, 2013 in so far as they relate to Senior Auditor except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Auditor in the Ministry of Defence, Defence Accounts Department, namely: -

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Senior Auditor) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age-limit, qualification etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and any other special categories of persons in accordance with orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Auditor.	16961*(2023) * Subject to variation dependent on workload. Note. - Number of posts indicated includes the combined strength of Auditor and Senior Auditor, with a maximum of eighty percent of posts to be operated in Senior Auditor.	General Central Services (Group 'B') Ministerial (Non-Gazetted)	Level -6 (Rs 35400 - 112400).	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion.	Auditors in the level- 5 (Rs 29200 - 92300) of pay matrix with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and successfully completed two week training in relation to the duties of the higher posts imparted at various Regional Training Centers Functioning under the department. Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of : (1) Principal Controller or Controller or Additional Controller or Joint Controller of Defence Accounts (Chairman);	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(2) Deputy Controller of Defence Accounts	-	
	(Member) ; and	
(3) Assistant Controller of Defence Accounts	-	
	(Member).	
Departmental Confirmation Committee for considering confirmation consisting of (1) Principal Controller or Controller or Additional Controller or Joint Controller of Defence Accounts		
	-	
	(Chairman) ;	
(2) Deputy Controller of Defence Accounts	-	
	(Member) ;and	
(3)Assistant Controller of Defence Accounts	-	
	(Member).	

[F. No. 9(5)/DAD/C/2023]

VEDVEER ARYA, Jt. Secy. and Addl. Financial Advisor